कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण), म.प्र. भोपाल

क्रमांक /वन अपराध/ 1728 भोपाल, दिनांक/ 8/5/15

प्रति,

समस्त मुख्य वन सरंक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)
म0प्र0

विषयः क्षेत्रीय वनमण्डलों के प्रभारी वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी के स्थानांतरण होने पर चार्ज नोट में वन अपराध से संबंधित जानकारी का लेख करने बाबत् ।

संदर्भ :–वन सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (प्रशा–1) म0प्र0 भोपाल के स्थानांतरण आदेशो से स्थानांतरित हुये क्षेत्रीय वनमण्डलों के वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी अपने चार्ज नोट में वन अपराध से संबंधित जानकारी जैसे की अतिक्रमण तथा कक्षवार अतिक्रमण की बेदखली की कार्यवाही, अवैध उत्खनन, राजसात प्रकरण, गंभीर प्रकार के न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी अपनी भारमुक्ति प्रतिवेदन में लेख करे, जिससे नवीन पदस्थापना पर आने वाले अधिकारी को वन सुरक्षा कार्य को सम्पादन करने में कठिनाई न हो। चार्ज नोट की प्रति कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक(कक्ष–संरक्षण) को भी अपने अभिमत सहित भेजा जाना सुनिश्चित करे । उक्त अभिलेख को रिकार्ड में रखा जावेगा ।

(प्रधान मुख्य वन सरंक्षक द्वारा अनुमोदित)

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म.प्र. भोपाल

क्रमांक /वन अपराध/ 1729 भोपाल, दिनांक/ 8/5/

प्रतिलिपि–

समस्त वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल क्षेत्रीय/वन्य प्राणी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म.प्र. भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण), म.प्र. भोपाल

क्रमांक / 2042/ भोपाल, दिनांक/29/5/15

प्रति,

समस्त मुख्य वन सरंक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक / संचालक(वन्य प्राणी)
म0प्र0

विषयः **वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के संबंध में**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक वन अपराध / 735 दिनांक 20 / 02 / 2015

—00—

वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, वन विभाग का प्रमुख दायित्व है। इसी पर प्रदेश का पर्यावरण संतुलन निर्भर करता है। अतः विभाग द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना चाहिये। वन अपराधों की वार्षिक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश वनमण्डलों में अधिकारी / कर्मचारी सवेंदनशील है। किन्तु अन्य कुछ वन मण्डलों में यह पाया गया कि कुछ कर्मचारी वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने तथा अतिक्रमण पर प्रभावी रोकथाम एवं उनकी बेदखली के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि :–

1. समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों उनके अधीनस्थ वनक्षेत्रों के संबंध में विस्तृत वार्षिक वन सुरक्षा योजना तैयार करेंगे ,जिसमे उनके क्षेत्रों की समस्याओं / चुनौतियों का स्पष्ट उल्लेख हो तथा जिसमें उन समस्याओं के निराकरण के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का भी स्पष्ट रूप से समावेश किया जावे ।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उक्त वार्षिक वन सुरक्षा योजना को प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के माध्यम से तैयार कराया जावेगा तथा उसे विधिवत संसूचित किया जावेगा तथा उनके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी उपरोक्तानुसार कर्तव्यों एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों का उल्लेख किया जावेगा।
3. मुख्य वन सरंक्षक / क्षेत्र संचालक अपने स्तर से उपरोक्त वार्षिक वन सुरक्षा योजना के कियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे तथा उक्त बाबत् प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जावेगी। कोई अधिकारी / कर्मचारी निर्धारित दायित्वो का पालन नहीं करता है तो, उनके विंरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावे ।

(अनिल ओबेराय)
प्रधान मुख्य वन सरंक्षक
म0प्र0 भोपाल

c:\users\hp\desktop\vdo.docx

क्रमांक /वन अपराध/ 2043 भोपाल, दिनांक/29/5/15

प्रतिलिपि–

समस्त वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सामान्य म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल